



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012026-269705
CG-DL-E-31012026-269705

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 426]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2026/माघ 10, 1947

No. 426]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2026/MAGHA 10, 1947

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2026

का.आ. 454(अ).— मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 2 के खंड (य) के उप-खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार अधिसूचित करती है कि, उक्त उप-खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, उक्त उप-खंड में निर्दिष्ट पर्यवेक्षी क्षमता में नियोजित किसी व्यक्ति के लिए वेतन की उच्चतम सीमा या सीमा अठारह हजार रुपये प्रति माह होगी; और तदनुसार, पर्यवेक्षी क्षमता में नियोजित और अठारह हजार रुपये प्रति माह से अधिक की मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उक्त खंड के अंतर्गत "कामगार" की परिभाषा से बाहर रखा जाएगा।

[फा. सं. पी-11011/01/2025-डब्ल्यू सी]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2026

S.O. 454(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (d) of clause (z) of section 2 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019), the Central Government hereby notifies that, for the purposes of sub-clause (d), the wage ceiling or limit for a person employed in a supervisory capacity referred to in said sub-clause shall be eighteen thousand rupees per month; and accordingly, a person employed in a supervisory capacity and drawing the wages exceeding eighteen thousand rupees per month shall be excluded from the definition of “worker” under the said clause.

[F. No. P-11011/01/2025-WC]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.